सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़

अति महत्वपूर्ण निर्देश

1. विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता प्रतिशत के ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
2. विभिन्न संकायों में प्रवेश आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश के लिये कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रवेशार्थी ध्यान रखें कि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है।
3. राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार योग्यता सूची में शामिल प्रवेशार्थी शुल्क जमा कराने की निर्धारित तिथि तक वांछित शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनीं हैं लेकिन साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें होंगे तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(टी.सी.), मूल चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे।
5. अपने मूल प्रलेख महाविद्यालय में जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियां अपने पास रख लें। महाविद्यालय में जमा करवाने के उपरान्त मूल प्रलेख तुरन्त लौटाना संभव नहीं होगा।
6. बी.ए.प्रथम वर्ष एवं बी.ए.द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हुये विद्यार्थियों को एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश लेना होगा एवं महाविद्यालय शुल्क जमा करवाना होगा। अस्थाई प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के पश्चात् उसका नियमित प्रवेश महाविद्यालय में नहीं हो सकेगा।
7. जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश लेना होगा। ऐसे विद्यार्थियों की उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की दिनांक से ही गिनी जायेगी। अस्थाई प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के पश्चात् उसका नियमित प्रवेश महाविद्यालय में नहीं हो सकेगा। पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण होने पर ऐसे विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई फीस वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
8. अनुशासनहीनता अथवा महाविद्यालय स्टाफ से दुर्व्यवहार का दोषी पाये जाने पर प्राचार्य को अधिकार है कि ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त भी कर सकते हैं।
9. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है कम होने पर ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में देने से वंचित कर दिये जायेंगे।

प्राचार्य

प्राचार्य
सेठ बिहारी लाल छाबड़ा
राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़